न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बेनीपुर,दरभंगा

सत्रवाद संख्या–228 / 2007
Reg.No. 2797 / 2014

आदेश

07.12.2021 कुल 7 अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त दिनेश झा की हाजरी है और शेष 6 अभियुक्तगण की ओर से दं0प्र0सं0 की धारा 317 का आवेदन है जो केवल मात्र आज के लिये स्वीकृत।

अभिलेख बचाव पक्ष के आवेदन दिनांक 01.07.2021 अंतर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

बचाव पक्ष की ओर से दिनांक 01.07.2021 का आवेदन दाखिल किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि अभियोजन की ओर से आरोप पत्र के मुख्य गवाह प्रस्तुत नहीं हुए हैं। इस वाद के मुख्य साक्षी मृतक की मां विमल देवी और उनके रिश्तेदारों विन्दा देवी, सीमा देवी एवं आजाद देवी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करने के लिये सम्मन निर्गत किया जाए।

अभियोजन की ओर से उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया एवं उक्त आवेदन का समर्थन किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में रविन्द्र झा, मनोहर झा एवं रूना देवी के विरुद्ध दिनांक 14.09.2009 को एवं दिनेश झा, अविनाश कुमार झा उर्फ चम्पु झा, जयचन्द्र झा एवं इन्दु देवी के विरुद्ध दिनांक 06.10.2009 को भा0द0वि0 की धारा 304बी,120बी के तहत आरोप का गठन किया गया है।

बचाव पक्ष के द्वारा जो आवेदन धारा 311 दं0प्र0सं0 का दिया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के 4 साक्षियों का परीक्षण करने हेतु सम्मन निर्गत करने हेतु निवेदन किया गया है तथा अभियोजन द्वारा भी इस संबंध में कोई विरोध नहीं किया गया है। इस वाद में आरोप पत्र में कुल 12 साक्षियों का नाम अंकित है जिसमें से अभियोजन द्वारा कुल 8 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है जिसमें से अभियोजन साक्षी संख्या–1 वैंकटेश मिश्र, साक्षी संख्या–2 नवीन कुमार चौधरी, साक्षी संख्या–3 इन्द्रमोहन चौधरी, साखी संख्या–4 लालमोहन चौधरी, साक्षी संख्या–5 पवन कुमार चौधरी, साक्षी संख्या–6 नन्दकिशोर, साक्षी संख्या–7 अनूप कुमार एवं साक्षी संख्या–8 डॉ0 ध्रुव कुमार धीरज हैं। उपरोक्त आवेदन में दिये गये चारों साक्षी जिनका अभियोजन साक्ष्य नहीं हुआ है वे सभी आरोप पत्र में बचे हुए नामित साक्षी हैं। उचित न्याय निर्णयन हेतु न्यायहित में बचाव पक्ष के दिनांक 01.07.2021 का आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी अभियोजन साक्षियों को अभियोजन साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 11.01.2022 वास्ते अभियोजन साक्ष्य।

(लेखापित)
Sd/-
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
बेनीपुर,दरभंगा।